दिनांक 27.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 46/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 27.05.2025 को थाना छतारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त आदिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना छतारी पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना छतारी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– आदिल निवासी हमदर्द नगर फातिमा वाली गली जमालपुर थाना सिविल लाइन जनपद अलीगढ़ वर्तमान पता–मोहल्ला पटवाली नंगला 24 फुटा रोड थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली कोंच

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना का अनावरण**
- **लूटे गये 01 अंगूठी पीली धातु, 02 सिंहासन सफेद धातु**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 26/27.05.2025 की रात्रि थाना कोतवाली कोंच, थाना कैलिया व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महन्त नगर से परेथा जाने वाली नहर पटरी के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रानू 2–रामेन्द्र 3–राजवीर घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 01 अंगूठी पीली धातु, 02 सिंहासन सफेद धातु, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.05.2025 को थाना कोतवाली कोंच क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कोंच पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रानू निवासी ग्राम करई थाना समथर जनपद झांसी।

2–रामेन्द्र निवासी ग्राम करई थाना समथर जनपद झांसी।

3–राजवीर निवासी ग्राम करई थाना समथर जनपद झांसी।

बरामदगी

1– लूटे गये 01 अंगूठी पीली धातु, 02 सिंहासन सफेद धातु।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

3–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद कासगंज/थाना अमॉपुर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख रूपये कीमत के चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 27.05.2025 को थाना अमॉपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 05 अभियुक्तों 1–सतीश 2–उमेश 3–विशाल 4–सतेन्द्र 5–हर्षित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख रूपये कीमत के चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना अमॉपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अमॉपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त सतीश के विरूद्ध जनपद कासगंज के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अमॉपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सतीश निवासी मोहन नगला थाना सहावर जनपद कासगंज।

2–उमेश निवासी खुदाताल थाना सहावर जनपद कासगंज।

3–विशाल निवासी रेलवे रोड नई बस्ती सहावर थाना सहावर जनपद कासगंज।

4–सतेन्द्र निवासी इतवारपुर थाना सहावर जनपद कासगंज।

5–हर्षित निवासी नल वाली गली बड़ा बाजार थाना सहावर जनपद कासगंज।

बरामदगी

1–लगभग 07 लाख रूपये कीमत के चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना जलालाबाद

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **457 ग्राम फाइन क्वालिटी अवैध अफीम**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 27.05.2025 को थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रैपुरा के पास से अभियुक्त अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 457 ग्राम फाइन क्वालिटी अवैध अफीम, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिल कुमार निवासी ग्राम चितरऊ थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1–457 ग्राम फाइन क्वालिटी अवैध अफीम।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद चन्दौली/थाना अलीनगर

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **43 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त 03 कार बरामद**

दिनॉकः 26.05.2025 की रात्रि थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आलमपुर के पास से 06 अभियुक्तों 1–सोनू 2–शास्वत कुमार 3–आनन्द प्रकाश 4–आर्यन कुमार 5–प्रकाश गौरव 6–सुभाष कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 43 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त 03 कार बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना अलीनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी खानपुर दोखटा थाना शिवाजी नगर जनपद समस्तीपुर, बिहार।

2–शास्वत कुमार निवासी नीलकण्ठ कालोनी सेक्टर–02 आशियाना नगर थाना राजीवनगर जनपद पटना, बिहार।

3–आनन्द प्रकाश निवासी ग्राम खोरड़ा थाना बाढणा जनपद चरखी दादरी, हरियाणा।

4–आर्यन कुमार निवासी ग्राम इन्द्रपुरी रोड नं0–10 थाना पाटिलपुर जनपद पटना, बिहार।

5–प्रकाश गौरव निवासी धीवाही थाना शिवाजी नगर जनपद समस्तीपुर, बिहार।

6–सुभाष कुमार निवासी ग्राम सरहिला थाना शिवाजी नगर जनपद समस्तीपुर, बिहार।

बरामदगी

1–43 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–घटना में प्रयुक्त 03 कार।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना तिवारीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 42 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/506 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–इमरान 2–कामरान को आजीवन कारावास व 42 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अलीगढ़/थाना सासनीगेट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना सासनीगेट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामू को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद पीलीभीत/थाना बीसलपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद पीलीभीत पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद पीलीभीत द्वारा थाना बीसलपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मनोज कुमार को आजीवन कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरट लखनऊ/थाना मोहनलालगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व 20हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा थाना मोहनलालगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामशंकर को आजीवन सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना बबेरू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 13 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बबेरू पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/352/506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजेश कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 13 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना बिसवां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना बिसवां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/342/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजकुमार को 20 वर्ष के कारावास व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।